फावली बोर्ड निर्णय दि० 27/6/2018 को पेश हो।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

27/6/2018 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी नं० 1 द्वारा अप्रार्थी नं० 2 द्वारा जारी पट्टे की आड में हमारी खातेदारी व रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। रिपोर्ट में उक्त तथ्य स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी नं० 1 व 3 के द्वारा निवेदन किया कि पंचायत के द्वारा विधिवत पट्टा दिया है उसी पर हमारा कब्जा होकर मौके पर विधिवत निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस के तथ्यों एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक 288 दि० 18/6/2018 से प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा व जमाबन्दी ग्राम भदालीखेड़ा की आ०न० 646 रकबा 0.2503 है० किस्म गैमु० रास्ता है जिसमें से 3 गज रास्ते की भूमि तथा प्रार्थी की ग्राम भदालीखेड़ा की आ०न० 641/1, 641/2, 641/3 खातेदारी भूमि में से 2½ गज भूमि ग्रा०पं० आरजिया द्वारा अप्रार्थी नं० 1 के नाम जारी पट्टे में सम्मिलित होना पाया जाता है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी नं० 1 को पट्टे की भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 6/6/2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के क्रम में मूल निगरानी के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भदालीखेड़ा की आ०न० 641/1, 641/2, 641/3 व आ०न० 646 की मौके की यथास्थिति कायम रखे। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा